संख्या-8/2023/80 /002-23-14002-002-1-2021

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
झांसी मण्डल एवं चित्रकूटधाम मण्डल।

(2) मुख्य विकास अधिकारी,
झांसी, जालौन, ललितपुर,चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर
एवं बांदा।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2023**

विषय:- बुन्देलखण्ड विकास निधि (अनुदान संख्या-56) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्राविधान के सापेक्ष बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित जनपदों के मध्य जिलांश का फॉट।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1569/फॉट/(83/56)/समग्र वृत्त/22-23, दिनांक 14.11.2022, पत्र संख्या-1534/फॉट/(83/56)/समग्र वृत्त/22-23, दिनांक 09.11.2022 एवं पत्र संख्या-1004/फॉट/(83/56)/समग्र वृत्त/22-23, दिनांक 21.07.2022 द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 18500.00 लाख (रूपये एक अरब पच्चासी करोड़ मात्र) के सापेक्ष जिलांश के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 9250.00 लाख (रूपये बयान्वे करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के कार्यो हेतु धनराशि का जनपदवार विवरण:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	जनपद	अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जिलांश का आवंटन
1	2	3
1	झांसी	2312.50
2	ललितपुर	770.83
3	जालौन	1541.67
4	हमीरपुर	770.83
5	महोबा	1156.25
6	बांदा	1541.67
7	चित्रकूट	1156.25
योग		**9250.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) योजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणनों के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी यह अवश्य देख लेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि से स्वीकृत की गयी योजनाओं पर राज्य सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो।

(6) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।

(7) जिन योजनाओं पर आंशिक धनराशि अवमुक्त की जाय, उन्हें पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि उपर्युक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग होने के पश्चात ही स्वीकृत की जाय।

(8) योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु वे कार्यदायी संस्था से अपना प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(9) मुख्य विकास अधिकारी ''पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002'' (यथासंशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान मा0 सदस्य, विधान सभा/मा0 सदस्य, विधान परिषद के साथ बैठक करके प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे।

(10) कार्यो का चुनाव करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जायेगा।

(11) जनपद हेतु आवंटित धनराशि को जनपद के विधान सभा क्षेत्रों में लगभग समान परिस्थितियों में समान धनराशि का आवंटन करके योजनायें स्वीकृत की जाय।

(12) निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ।

(13) जनपद स्तर पर योजनाओं को तैयार करते समय एवं उन योजनाओं को मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत करते समय यह ध्यान रखा जाय कि कार्यवाही निधि के ''मार्गदर्शी सिद्धान्त'' में उल्लिखित व्यवस्था/ प्राविधानों के अनुसार की गई है तथा चयनित/ स्वीकृत कार्यो की प्रगति की वित्तीय/ भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) प्रस्तावित/स्वीकृत योजनाओं में स्टाफ/वाहन पर होने वाला आवर्तक व्यय निहित न हो।

(15) मरम्मत कार्य, अत्यन्त लघु कार्य, कच्चे/सुन्दरीकरण के कार्य एवं जीर्णोद्धार से संबंधित योजनायें स्वीकृत न की जाय। इस संबंध में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(16) गत वर्ष अधूरी योजनाओं (यदि कोई हो) को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाय, तदुपरान्त धनराशि नवीन योजनाओं हेतु स्वीकृत/व्यय की जाय।

(17) योजनायें स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि योजनायें एक ही वर्ष में पूरी हो जॉय तथा केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की योजनायें ली जाय, जो दो वर्षो में पूरी हो सकें।

(18) निधि से पोषित होने वाली योजनाओं में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, जो जनपद स्तरीय विकास में हितकर हो एवं जिन पर जिला योजना अथवा राज्य योजना के द्वारा सामान्य रूप से धनराशि का आवंटन उपलब्ध न हो।

(19) बुन्देलखण्ड विकास निधि के जिलांश से ऐसे कार्य न कराये जाये जिनकी सूची संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) के परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(20) निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार किया जाय।

(21) वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर महालेखाकार से आंकड़ों का सम्परीक्षण कराकर सम्परीक्षण आंकड़े शासन को अवश्य प्रेषित कर दिये जाय।

(22) इस शासनादेश द्वारा आंवटित धनराशि से स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8-(74)/2000-170, दिनांक 19-9-2002 द्वारा निर्गत संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04(जनरल)/2020, दिनांक 01.10.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(23) शासनादेश दिनांक 09-04-2007 तथा दिनांक 08-09-2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(24) आवंटित की जा रही धनराशि के समक्ष कोषागार से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। यह धनराशि पी0एल0ए0 डिपाजिट खाते, बैंकों अथवा डाकखाने आदि में नहीं रखी जायेगी।

(25) नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-120/35-5-98(49)97-270, दिनांक 15-1-98 द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि/बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत जिलांश के कार्यो की स्वीकृति का अधिकार मण्डलायुक्तों को प्रदान किया गया है। अतः उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तंर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृतियां निर्गत की जायेगी तथा इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(26) बुन्देलखण्ड विकास निधि से वित्त पोषित जिलांश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 19.09.2002 (यथा संशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(27) चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत व्यावस्थित धनराशि से व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय।

2- इस संबंध मे होने वाला व्यय रूपये 92,50,00,000 (रूपये बयान्वे करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या** 056 **लेखाशीर्षक** 4575608000400 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-475-X-2022-23, दिनांक- 17 जनवरी, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

4- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्य निष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

5- विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

10- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

11- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी समस्त संबंधित जनपद।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

13- नियोजन अनुभाग-1

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in